न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00236/2020/223

1. कैलाश पुत्र रामनाथ, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम अखैपुरा, तह0 बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी क्वाटर नंबर—40/हाल क्वाटर नं0 20 एस0एम0एस0 अस्पताल, जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. मूलचंद पुत्र रघुनाथ,
2. रामू पुत्र स्व0 जगदीश,
3. रमेश पुत्र स्व0 जगदीश,
4. नवल पुत्र स्व0 जगदीश,
   जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम अखैपुरा, तह0 बस्सी, जिला जयपुर
5. श्रीमती कंचन पुत्री स्व0 जगदीश शर्मा पत्नि राधेश्याम शर्मा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी कचौलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
6. श्रीमती ममता पुत्री स्व0 जगदीश शर्मा पत्नि पप्पू शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम कचौलिया, तह0 बस्सी जिला जयपुर ।
7. श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व0 जगदीश शर्मा पत्नि जगदीश, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम पालावास, तह0 बस्सी जिला जयपुर ।
8. श्रीमती पदमा पुत्री स्व0 जगदीश शर्मा पत्नि कल्याण सहाय, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम माधोगढ़, तह0 बस्सी, जिला जयपुर ।
9. मु0 भूली देवी बेवा जगदीश शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम अखैपुरा, तह0 बस्सी जिला जयपुर ।
10. जगदीश प्रसाद,
11. कैलाश चन्द,
    पुत्रान मंगलचंद,जाति बैरवा, निवासी ग्राम अखैपुरा, तह0 बस्सी जिला जयपुर ।
12. सूरज,
13. अनिल,
    पुत्रान रामदयाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम अखैपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
14. मु0 प्रेम बेवा स्व0 रामदयाल, जाति बैरवा, नि0 ग्राम अखैपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
15. कैलाश,
16. कालूराम
    पुत्रान भौरीलाल, जाति हरियाणा ब्राहमण, निवासी ग्राम महल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
17. सरपंच ग्राम पंचायत, मनोहरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
18. उप पंजीयक महोदय, बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर ।
19. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर दिनांक 13.8.2019 अंतर्गत वाद संख्या 231/2016.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 एवं 13 से 16.
3. रेस्पो0 संख्या 12 व 17 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 20.7.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, बस्सी, जिला जयपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2019 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में की गई तत्पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक निग/टीए/2607/2020/जयपुर/ में पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 द्वारा न्यायालय हाजा को स्थानातंरण से प्राप्त हुई है ।

2. वादीगण/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 41 के हाल खसरा नंबर 38 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 39 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 41 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा तथा खाता संख्या 40 के हाल खसरा नंबर 3 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा दोनों खातों की कुल 42 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम अखैपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में अवस्थित है । वादग्रस्त भूमि के संवत् 2015 के अंतर्गत साबिक खसरा नंबर 5, 8/1,/225, 8/1/226,, 11/2/3/227, 8 मिन, 11/2/2मि., 2/2, 4, 210/2, 212, 206/2, 205/7, 210/1, 205/8,206/1, 205/7, 213, 214, 80/234 कुल रकबा 42 बीघा 11 बिस्वा अंकित थे । संवत् 2015 के पहले नंबर नहीं बदले होने के कारण संवत् 1984 एवं 1987 में भी वादग्रस्त भूमियों के यही नंबर थे । संवत् 1984—1987 में खातेदारी गलत रूप से अकेले हरबक्स पुत्र चन्दर के नाम दर्ज हो गई जो कि वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य है । संवत् 1926 के अंतर्गत रामकिशन, किशना वल्द खेमा एवं गोविन्दा वल्द जीवा के नाम 42 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदारी में अंकित थी । इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की शामलाती पैतृक कृषि भूमिया है । विवादित भूमि पर रामकिशन, किशना वल्द खेमा एवं गोविन्दा वल्द जीवा के समय से चली आ रही पैतृक भूमि है तथा रामकिशन, किशना एवं गोविन्दा भूमि के खातेदार काश्तकार थे । रामकिशन, किशना एवं गोविन्दा की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक पूर्वाधिकारी हरबक्स पुत्र चन्दा ने जयपुर राज के कर्मचारियों से मिलीभगत कर खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया । गोविन्दा वल्द जीवा नाऔलाद फौत हुआ । रामकिशन के भी आगे फतेहराम के बाद कोई वंश नहीं चला । इस प्रकार भूमि वादग्रस्त में एकमात्र अधिकारी किशना पुत्र खेमा रह गया । किशना के चार लड़के क्रमशः चन्दर, डूंगा, हनुता एवं श्योजी हुए । इनमें से हनता एवं श्योजी नाऔलाद फौत हुए । इस प्रकार किशना के वारिसों में चन्दर व डूंगा ही बचे । चन्दर गांव में रहकर भूमि को किशना के साथ काश्त करता एवं डूंगा अहमदाबाद, दिल्ली व जयपुर रहकर मजदूरी करता था तथा कमाई का रूपया गांव में चन्दर एवं किशना को भेजता था। चन्दर की मृत्यु किशना से पहले हो गई इसलिये किशना की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अकेले हरबक्स के नाम गलत दर्ज हो गई जबकि डूंगा का नाम भी हरबक्श के साथ—साथ बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिये था । डूंगा वल्द किशना के

तीन पुत्र क्रमश घासी, छोटीलाल व रामनाथ हए । इनमें से घासी एवं छोटीलाल नाऔलाद फौत हुए रामनाथ के उत्तराधिकारी वादीगण है । हरबक्स के तीन पुत्र क्रमशः रघुनाथ, रामेश्वर एवं जगदीश हुए । इनमें से जगदीश नाऔलाद फौत हुआ । रघुनाथ का वारिस प्रतिवादी संख्या मूलचंद तथा जगदीश प्रतिवादी संख्या 2 है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9 को अलग–अलग रूप से भूमियों का विक्रय किया है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 9 के हक में किये गये विक्रय पत्र वादीगण के अधिकारों के मुकाबले शून्य है। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी डूंगा बाहर रहता था । अपने अंतिम समय में वह जयपुर आ गया एवं जयपुर में ही वादग्रस्त भूमियों की सार संभाल कर खेती बाड़ी का कार्य संभालने गांव अखैपुरा आता जाता रहता था । स्व0 रामनाथ ने जयपुर में स्थाई निवास बना लिया एवं वर्तमान में वादी संख्या 2 एवं वादिनी संख्या 1 जयपुर में ही निवासी करते है । गत् अप्रेल माह में वादीगण गांव अखैपुर आया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बंटाई का अनाज देने से इंकार कर दिया तथा बोले कि भूमि हमारे नाम खातेदारी में दर्ज है । आगे से बंटाई का अनाज नहीं देगें तथा भूमि का विक्रय दीगर व्यक्तियों को करेगें । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम अखैपुरा स्थित वादग्रस्त आराजियात हाल खसरा नंबर 38, 39, 41 व 3 कुल रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अंकन करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र के मद नंबर 2 में जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जो सजरा खानदान वर्णित किया है वह असत्य है । वादीगण एवं उनके पूर्वज डूंगा का एवं उनके अन्य पूर्वजों का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के परिवार एवं वंश से दूर–दूर का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है । वास्तविक स्थिति यह है कि डूंगा नाम का व्यक्ति आज तक एवं न ही पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के परिवार व वंश में नहीं हुआ है । वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक कब्जे काश्त की खातदेारी भूमियों को हड़पने की गरज से वाद काल्पनिक कहानी बनाकर पेश किया है । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2019 वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया तथा प्रविादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपील के विचाराधीन रहते अपीलांट कैलाश ने क्रॉस आब्जेक्शन पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा काउन्टर क्लेम के संबंध में दिया गया निर्णय Presumptions and Conjectures पर आधारित होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने काउन्टर क्लेम के संबंध में कोई स्पष्ट तनकियात नहीं बनाई है इस कारण भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए वादी/अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा निषेधाज्ञा से पाबंद करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने निर्णय में विवादित भूमि को पक्षकारान

के पूर्वजों की सम्पति माना है किन्तु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी को निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अतः क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार किया जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे व विवादित भूमि में वादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा घोषित कर इंद्राज दुरूस्ती के आदेश दिये जावे । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल अपील संख्या 166/2018 बउनवान इकबाल बानू बनाम रमेश में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2018 में पारित निर्णय की प्रति पेश कर कथन किया कि वाद एवं काउन्टर क्लेम के विरूद्ध एक अपील संधारण योग्य है ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने क्रॉस आब्जेक्शन के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है । प्रार्थी/अपीलांट को मिली कानूनी सलाह के आधार पर यह अपील रेस्पो0 के काउन्टर क्लेम व निर्णय के विरूद्ध मानी जाती है लेकिन रेस्पो0 के ऐतराज आने पर प्रार्थी ने एतियात के तौर पर यह क्रॉस आब्जेक्शन पेश किये है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी कानूनी सलाह सही रूप से प्राप्त नहीं होने के कारण है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन को अंदर मियाद शुमार किया जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने क्रॉस आब्जेक्शन के समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलांट ने यह कथन किया है कि रेस्पो0 के वकील के ऐतराज आने पर न्यायालय हाजा के समक्ष यह क्रॉस आब्जेक्शन पेश कर रहा हूं जबकि अपीलांट स्वंय की ही अपील में क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि क्रॉस आब्जेक्शन रेस्पो0 द्वारा पेश किये जाते है । अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 13.8.2019 के विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेशकी थी ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के निर्णय की संपूर्ण जानकारी अपीलांट को थी इस कारण विलंब क्षम्य नहीं किया जा सकता है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 में यह तथ्य अंकित किया है कि कानूनी सलाह सही रूप से प्राप्त नहीं होने के संबंध में अधिवक्ता को शपथ पत्र पेश नहीं किया है । अपीलांट को निर्णय की पूर्ण जानकारी प्रारंभ से थी । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने क्रॉस आब्जेक्शन का लिखित जवाब पेश कर कथन किया कि दिनांक 17.2.2021 को अपीलांट कैलाश व अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर क्रॉस आब्जेक्शन के साथ एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र बाबत् क्रॉस अपील को मूल अपील के साथ संलग्न कर पुनः सुनवाई करने हेतु प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट ने अंकित किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष विचारधीन अपील में अपीलांट द्वारा आज दिनांक को श्रीमान् के समक्ष काउन्टर अपील पेश कर रहा हू एवं पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण काउन्टर अपील पेश नहीं कर सका क्योंकि प्रार्थी को कानूनी जानकारी नहीं थी इसलिये नये अधिवक्ता से संपर्क कर यह काउन्टर अपील पेश कर रहा हू जिसे रिकार्ड पर लेकर बहस मजीद सुनने एवं उक्त अपील सुनने के उपरांत ही अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील पर कोई निर्णय पारित करे । इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्रॉस आब्जेक्शन के साथ क्रॉस अपील भी प्रस्तुत की गई थी किन्तु पत्रावली पर क्रॉस आब्जेक्शन तो उपलब्ध है किन्तु क्रॉस अपील बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है । क्रॉस आब्जेक्शन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में अपीलांट द्वारा अंकन किया गया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

है कि यह शपथ पत्र मेरे द्वारा क्रॉस आब्जेक्शन अपील के समर्थन में प्रस्तुत किया जा रहा है । अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से न तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है न ही क्रॉस आब्जेक्शन । अपीलांट न्यायालय को गुमराह कर रहा है तथा अपील का निस्तारण नहीं होने देना चाह रहा है । अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किये गये है जबकि क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अधिकार रेस्पो0 अधिवक्ता का होता है । अपीलांट क्रॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन न्यायालय हाजा के समक्ष संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । मान0 न्यायालय द्वारा एक बार बहस सुनकर निर्णय सुरक्षित करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लेने का अधिकार नहीं है । अतः क्रॉस आब्जेक्शन पेश कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन व हस्तलिखित प्रार्थना खारिज किया जावे ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. विद्वान वकील अपीलांट ने मूल अपील पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना परवर्स निर्णय व डिक्री पारित की है जो पूर्णत अवैध होने से निरस्तनीय है । वादीगण ने अपने दावे को साबित करने हेतु दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये थे जिसका उल्लेख तो अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में भी किया है परन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबुल जवाब, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य, लिखित बहस का मात्र आंशिक उल्लेख किया है परन्तु उसका कोई विवेचन नहीं किया है । अधी0न्याया0 के लिये भी आवश्यक था कि वे प्रत्येक तनकी के संदर्भ में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचन,दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य व लिखित बहस का विवेचन कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या लगायत 5 का एक साथ सरसरी तौर से निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण ने जो दावा पेश किया उसमें भूमि को पैतृक संयुक्त खातेदारी की होना अंकित कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था । दावे के साथ वादीगण द्वारा जो वंशावली अंकित की गई उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किशना पुत्र खेमा के चार पुत्र चन्दर, डूंगा, हनुता व श्योजी थे, जिनमें से हनुता व श्योजी लाऔलाद फोत हो गये । डूंगा का पुत्र रामनाथ था जिसकी बेवा वादिया संख्या 1 तथा पुत्र कैलाश वादी संख्या 2 था । प्रतिवादीगण ने अपने वादौत्तर में संपूर्ण वंशावली को तो स्वीकार करते हुए मात्र इस तथ्य से इंकार किया कि किशना के मात्र तीन पुत्र चन्दर, हनुता व श्योजी ही थे ओर डूंगा नाम का कोई पुत्र होने के तथ्य से स्पष्टतः इंकार किया है । वादीगण ने विभिन्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर यह संदेह से बाहर स्पष्ट किया कि किशना के चार पुत्र थे जिनमें डूंगा का पुत्र रामनाथ है । प्रतिवादीगण इसके विपरीत साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि संवत् 1926 में उक्त भूमि रामकिशन, किशना व सुखदेव पुत्रान खेमा तथा गोविन्दा पुत्र जीवा के नाम दर्ज थी जिसमें से गोविन्दा पुत्र जीवा व सुखदेव पुत्र खेमा लाऔलाद फौत हो जाने से रामकिशन व किशना बहिस्सा बराबर–बराबर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उत्तराधिकारी हुए । रामकिशन के पुत्र श्योनारायण का एकमात्र पुत्र फतेहराम भी लाऔलाद फौत हो गया ऐसी स्थिति में किशना ही उक्त संपूर्ण भूमि का खातेदार कृषक रहा । वादीगण द्वारा प्रस्तुत किशना की वंशावली को संदेह से बाहर साबित किया गया था जिससे विवादित आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा होना पूर्णतः साबित था। बहस में यह भी कथन किया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से वादग्रस्त आराजियात में वादी ने अपना 1/2 हिस्सा होना साबित किया था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहकृषक का उसके हिस्से अनुसार कब्जा काश्त माना जाता है जिसके विपरीत साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था जिसमें वे पूर्णतः असफल रहे है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण के वाद को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर अपना तन्हा कब्जा होना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जो विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथनानुसार तथा प्रतिवादी संख्या 2/1 ने अपने शपथ पत्र की जिरह में परिवार में किसी की मृत्यु होने पर उसकी अस्थियां सोराज ले जाना व गंगा गुरू की पौथी में मृतक व उनके वंशजों का नाम लिखना व्यक्त किया है, इस प्रकार सभी दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित भूमि पैतृक है एवं वादी व प्रतिवादीगण एक ही वंशज के होना साबित होता है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी संख्या 2 वादपत्र में वादग्रस्त भूमि में कानूनन राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 9, 15, 19 व 88 के तहत कोई हक व अधिकार नहीं बनते है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 9 खुदकाश्त के अधिकारों के सबंध में है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण मेंदोनों ही पक्ष भूमि का अपने आपको खातेदार कृषक ही होना जाहिर करते है, भूमि जागीर की भूमि नहीं है जिसमें खुदकाश्त के प्रश्न पर विचार किया जा सकता हो । राज0काश्त0अधि0 की धारा 15, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय कृषक के अधिकारों के संबंध में तथा धारा 19 उप कृषक के संबंध में है जबकि वादीगण ने भूमि विवादित को अपनी पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होना क्लेम कर रहे है । अधी0न्याया0 ने अपने आपको विधि के प्रावधानों पर तथा उनमें निहित विधिक प्रश्न पर पारित किये जाने वाले बिन्दु पर केन्द्रित किये बिना कतई आधारहीन निर्णय पारित किया है जो पूर्णत अवैध होने से निरस्तनीय है । बहस में यह भी कथन किया कि भू–अभिलेखों में हो रहे इंद्राजात अपने–आप में अंतिम सत्य नहीं होते है और नियमित वाद मे पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना आवश्यक होता है। राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 88 को तो मात्र खातेदारी की घोषणा के संबंध में है । जब वादी ने अपने आपको भूमि का सहकृषक होना साबित किया है जिसका प्रतिकार करने में प्रतिवादीगण असफल रहे तब वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक होने के बावजूद भी अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सहकृषक का कब्जा किसी भी अवस्था में दूसरे सहकृषक के विरूद्ध मुखालफाना की श्रेणी में नहीं आता है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 10 में यह निर्णय पारित किया है कि वादी ने वाद घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती का पेश किया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । इस वाद में उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार सक्षम न्यायालय को है । अधी0न्याया0 का यह निर्णय पारस्परिक विरोधाभासी है । वादीगण ने अपने आपको भूमि का मात्र खातेदार कृषक घोषित किये जाने का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अनुतोष चाहा है और वंशावली के आधार पर वादीगण को भूमि का खातेदार घोषित करना राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अस्पष्ट निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । तनकी संख्या 11 व 12 एक–दूसरे से संबंधित नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने एक साथ निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2019 निरस्त किया जाकर वादी का दावा डिक्री किया जावे तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1984 पेज 42 से 45, आर0आर0डी0 1983 पेज 310 से 313, आर0आर0डी0 1982 पेज 158 से 161 एवं आर0आर0डी0 1968 पेज 146 से 150 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

8. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 11 एवं 13 से 16 ने लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट/वादी एवं नर्बदा ने वादपत्र में जो सजरा अंकित किया है जिसके तहत वादग्रस्त आराजियात मंशाराम से शुरू होना बताया है । किन्तु अपीलांट सजरा खानदान को साबित नहीं कर पाये है । संवत् 1926 के अंतर्गत रामकिशन, किशना वलद खेमा एवं गोविन्दा वल्द जीवा के नाम 42 बीघा 2 बिस्वा भमि की खातेदारी अंकित थी । इस प्रकार विवादित आराजियात अपीलांट/वादी एवं नर्बदा एवं रेस्पो0 संख्या व 2 की पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है । संवत् 1984 व संवत् 1987 में वादपत्र में वर्णित भूमि की खातेदारी अकेले हरबक्स पुत्र चन्दर के नाम दर्ज हो गयी थी जो रेस्पे0 संख्या 1 व 2 के पूर्वज थे किन्तु वादीगण उक्त कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । वादपत्र में वर्णित भूमि की खातेदारी कभी भी जागीर रिजेम्पशन एकट 1952 संवत् 2009 के प्रभाव में आने के समय वादीगण के पिता व पति रामनाथ व रामनाथ के पिता डूंगा के नाम नहीं रही है एव ना ही वादीगण के पूर्वजों रामनाथ व डूंगा की खुदकाश्त की भूमि रही है । यही नहीं वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में किसी भी साल संवत् की कोई लगान की रसीदें व खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है । प्रतिवादी संख्या 1 मूलचंद पुत्र रघुनाथ ने वादवर्णित भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में से अपना 1/2 हिस्सा की भूमि में से 26/29 दर हिस्सा 1/2 की भूमि को दावा दायरी से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दी थी एवं 2/29 दर हिस्सा 1/2 की भूमि बेचान प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश प्रसाद, प्रतिवादी संख्या 4 कैलाशचंद्र को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दावा दायरी से पूर्व कर दिया था व हिस्सा 1/29 दर हिस्सा 1/2 की भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दावा दायरी से पूर्व कर दिया था तथा क्रेतागणों के नाम पंजीकृत विक्रयपत्रों के आधार पर नामांतकरण दर्ज किया जाकर काबिज काश्त चले आ रहे है। बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 की वाद के विचाराधीन रहते मृत्यु हो जाने के उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 की भूमि का विरासत नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/8 के नाम स्वीकृत हुआ था एवं प्रतिवादीगण संख्या 2/4 से 2/8 ने अपना हिस्सा 5/8 दर हिस्सा 1/2 की भूमि का जरिये पंजीकृत हक त्यागपत्र प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/3 के पक्ष में पंजीबद्ध करवा दिया था । अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे तथा काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकियात कायम की । तनकी संख्या 1 लगायत 7 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था एवं तनकी संख्या 8 से 12 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान पर था । वादीगण एवं नर्बदा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वादपत्र मे वर्णित भूमि सं

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संबंधित दस्तावेज नहीं है क्योंकि उक्त दस्तावेजों में वर्णित खसरा नंबर एवं वादपत्र में वर्णित हाल खसरा मिलान क्षेत्रफल के आधार पर मेल नहीं खाते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी जागीर रिज्यूम्शन एक्ट 1952 के प्रभाव में आते ही अपना प्रभाव कानूनन समाप्त कर चुके है अर्थात् उक्त सभी दस्तावेजीात रिकार्ड आफ राईटस के दस्तावेज नही है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर कानूनन अपीलांट रेस्पो0 की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के संबंध में कोई खातेदारी समाप्त करने के जागीर रिज्यूम्पशन एक्ट 1952 व राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत कानूनन अधिकारी नहीं है । वादी के गवाहों ने भी जिरह से भी यह साबित है कि वादी संख्या 2 के पिता रामनाथ व उनके भाई छोटेलाल व उनके पूर्वज ग्राम खानपुरा तहसील लवान जिला दौसा के निवासी रहे है एवं ग्राम अखैपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में नहीं रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी अपना वाद एवं कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री द्वारा वादी/अपीलांट का वाद निरस्त किया है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है इसके बावजूद वादी/अपीलांट द्वारा एक ही अपील पेश की गई है जबकि अपीलांट को वाद खारिज किये जाने के संबंध में तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने के संबंध में पृथक–पृथक अपीलें पेश करनी चाहिये थी । अपीलांट द्वारा वाद एवं काउन्टर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पेश किये जाने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत संधारण योग्य नहीं होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2017 पेज 390 हाईकोर्ट, आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 831, 896, आर0आर0टी0 2020 (1) पेज 401, 452, 198 एवं आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 397 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा कथन किया कि दो निर्णयों के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं है ।

9. हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र एवं संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र अंदर मियाद शुमार किया जाता है। अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की है किन्तु अपीलांट द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम के विरूद्ध मियाद बाहर क्रॉस आब्जेक्शन पेश किये है जबकि अपीलांट ने काउन्टर क्लेम की अपील प्रस्तुत नहीं की किन्तु मियाद बाहर क्रॉस आब्जेक्शन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में पेश किये है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2019 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधी0न्याया0 के संपूर्ण निर्णय की प्रारंभ से जानकारी थी किन्तु अपीलांट ने कानूनी सलाह सही रूप से प्राप्त नहीं होने के आधार पर यह क्रॉस आब्जेशन पेश करना अंकित किया है । काउन्टर क्लेम में पारित निर्णय को क्रॉस आब्जेक्शन के माध्यम से चुनौती नही दी जा सकती है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल अपील संख्या 166/2018 श्रीमती इकबाल बानू बनाम रमेश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.9.2018 की प्रति पेश की है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि वाद एवं काउन्टर क्लेम के विरूद्ध प्रस्तुत एक अपील संधारण योग्य है ।

10. अपील में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में कुल 12 तनकियात कायम की गई है जिसमें तनकी संख्या 1 लगायत 5 का एक साथ निर्णय कर दिया है जो विधिक रूप से उचित नहीं है जबकि अधी0न्याया0 को प्रत्येक तनकी का निर्णय पृथक पृथक पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के आधार पर करना चाहिये था । हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की वंशावली में अपीलांट एवं प्रतिवादी को एक ही वंशावली का प्रतीत होना माना है परन्तु यह कहते हुए इस आधार पर वाद खारिज कर दिया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय अपीलांट अथवा उसके पूर्वजों का विवादित आराजियात पर कभी खुद काबिज काश्त के रूप में कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही खातेदारी दर्ज है । जब अधी0न्याया0 ने वादग्रस्त भूमि पैतृक है एवं खुदकाश्त की भूमि है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को एक ही वंशज का प्रतीत होना माना है तो विधिक रूप से कानून में यह उपधारणा है कि एक सहखातेदार काश्तकार का कब्जा सभी सहखातेदारों काश्तकार का कब्जा माना जाता है । राज0काश्त0अधि0 लागू होते समय यदि परिवार के किसी एक सदस्य का कब्जा हो तो परिवार के सभी सदस्यों का कब्जा माना जाता है । अधी0न्याया0 द्वारा कानून की इस महत्वपूर्ण उपधारणा को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो विधिसम्मत् प्रतीत नहीं होता है । दौराने अपील भी तथ्य उजागर हुआ है कि विवादित आराजियात में कुछ भूमियों का बैचान हो चुका है । उपरोक्त विक्रय पत्रों का अपीलाधीन भूमि एवं अपीलांट के हक व अधिकारों तथा हिस्से पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इस संबंध में भी अलग से तनकी कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य उपरांत निर्णय किया जाना अपेक्षित है । अतः अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं होने से जो निर्णय किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद एवं काउन्टर क्लेम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के क्रम में वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीवार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 20.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर